



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940
No. 70]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 84(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में आरमोर संवर्ग समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आरमोर संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- प्रारंभिक गठन**—नियमित आधार पर समूह 'क' पद धारण करने वाले उप सेनानी (आरमोर) अथवा सहायक सेनानी (आरमोर) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख अर्थात् 17 जुलाई, 2018 से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त समझा जाएगा और उक्त पद पर उनकी निरंतर सेवा को इन नियमों के जारी होने से ठीक पहले परिवीक्षा और प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- वरिष्ठता.**—सीधे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता उनके द्वारा भर्ती परीक्षा और बुनियादी वृत्तिक पाठ्यक्रम में उनके द्वारा प्राप्त 50:50 अनुपात के अंको के साथ जोड़ कर अवधारित की जाएगी।
- चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए शेष-1 से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत हैं:—

(i) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी का योग्यता निर्धारित करने के पश्चात, चिकित्सा अधिकारी का दिया गया चिकित्सा वर्गीकरण:—

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा कम होती हुई कार्यात्मक क्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाए उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है, वहां उसका प्रवर्ग एस 1 एच 1 ए 1 पी 1 ई 1 लिखने के बजाय श्रेणी-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:—

- (क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।
- (ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्गस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों का प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (ग) 'एस' घटक को छोड़कर नेमी या अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्याधिक ढंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों पर और लंबे कर्तव्यों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य।
- (ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. अन्यदेशीय की अपात्रता.—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

9. अधिवर्षिता.—(1) ऐसे अधिकारी जो उप सेनानी (आरमोरर) एवं सहायक सेनानी (आरमोरर) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, यथास्थिति सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

10. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप सेनानी (आरमोरर)	08* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 11 (67700-208700 रु.)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा जिसे न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति भूतपूर्व कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक सेनानी (आरमोरर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) स्तर 10 के उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा:

केंद्रीय सरकार के पुलिस संगठनों अथवा राज्य सरकार के पुलिस संगठनों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस संगठनों अथवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी:-

क) (i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) नियुक्ति के बाद मूल काडर अथवा विभाग में पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो सेना या अन्य विभाग का वैद्युत/इंजीनियरी (आयुध का सहायक निरीक्षक) पाठ्यक्रम या किसी अन्य विभाग से समतुल्य पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य; (4) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक सेनानी (आरमोरर)	08* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 10 (56100-177500 रु.)	चयन पद।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (आरमोरर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) स्तर-7 में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और वैद्युत या यांत्रिक या इंजीनियरिंग (आयुध का सहायक निरीक्षक) पाठ्यक्रम या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा चलाया गया आरमोरर ग्रेड-1 पाठ्यक्रम पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं स्थाईकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य; (4) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल चार विषिष्ट काडरों (दूरसंचार, मोटर परिवहन, आरमोरर तथा इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण काडर) का साधारण ड्यूटी काडर के साथ विलय के संबंध में संशोधित भर्ती नियम अर्थात् भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर(समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 बनाए गए थे तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 811(अ) तारीख 05 अक्टूबर, 2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे। उक्त भर्ती नियमों के तहत पांच काडरों की एक संयुक्त वरीयता सूची, महानिदेशालय (कार्मिक) भा.ति.सी.पु.का.ज्ञा.सं.161 दिनांक 26 नवंबर, 2010 के तहत बनाई गई थी जिसे बाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय ने पांचों काडरों को पृथक कर दिया तथा साधारण ड्यूटी काडर के पृथक भर्ती नियम अधिसूचना संख्या 655(अ) तारीख 17 जुलाई, 2018 बनाए गए, इस प्रकार संयुक्त साधारण ड्यूटी काडर के भर्ती नियमों के साथ साथ सभी

उक्त पदों को मिलाकर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह क' पद) भर्ती नियम, 2010 त्रुटिवश अधिकमित हो गए। इन नियमों का नियम 4 वर्तमान में उक्त पदों पर कार्य कर रहे पदाधारियों की सेवा को नियमित करने का ध्यान रखते हुए पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नियम 4 के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. I.-12013/03/2015-संग.(पार्ट-IV)]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Armourer Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—The incumbents holding the posts of Deputy Commandant(Armourer) or Assistant Commandant(Armourer), Group 'A' posts on regular basis on the date of issue of this notification shall be deemed to have been appointed with effect from 17 July, 2018 in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the said posts immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for probation and promotion.

5. Seniority.—The seniority of direct entrants shall be determined by adding together the marks obtained by them in the recruitment test and the basic professional course in the ratio of 50:50.

6. Medical Fitness.—For the purposes of this rule, SHAPE-I means Medical Category defined as under:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :-

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical capacity
E	-	Eye sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-

- fit for all duties anywhere;
- fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears/eyes;
- excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignment;

- (d) temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave;
 (e) permanently unfit for duties.

7. Disqualification.—No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Superannuation.—(1) Officers holding the ranks of Deputy Commandant (Armourer) and Assistant Commandant (Armourer) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty seven years, as the case may be.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

10. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

11. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Commandant (Armourer)	08* (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 11 (Rs.67700 - 208700)	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen- Deputation re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

By Promotion:

From amongst Assistant Commandants (Armourer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional course.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By Deputation:

Officers of Central Government Police Organisation or State Government Police Organisation or Union territories Police Organisation or Central Armed Police Forces,-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level 10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or departments and have undergone Electrical or Mechanical Engineering(Assistant Inspector of Arms) course from Army or equivalent course from any other such department.

Note:1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note:2 The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinary not exceed three years and the Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-Servicemen:

Deputation/Re-Employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualifications and experience prescribed for recruitment by deputation, shall also be considered and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment basis.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member;</p> <p>(4) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Commandant (Armourer)	08* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 10 (Rs.56100 - 177500)	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)
<p>By Promotion:</p> <p>From amongst Inspectors (Armourer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years' of regular service in the grade and have undergone Electrical or Mechanical or Engineering (Assistant Inspector of Arms) Course or Armourer Grade-1 course conducted by the Indo-Tibetan Border Police Force.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 3. Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member. 	Not applicable.

Explanatory Memorandum.- Consequent upon approval of Government of India, Ministry of Home affairs, Indo-Tibetan Border Police Force regarding merger of four specialist cadres (Telecom, Motor Transport, Armourer and Electronic Data Processing cadres) with General Duty Cadres, the revised Recruitment Rules, namely, the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010 were framed and published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 811(E), dated the 5th October, 2010. In furtherance of the said recruitment rules, a combined seniority list of the five cadres was prepared vide Dte(Pers) ITBP office memo number 161 dated the 26th November, 2010 which was later on quashed by the Hon'ble High Court of Delhi. Consequently, Ministry of Home Affairs has demerged all five cadres and the recruitment rules of segregated General duty cadre have been framed vide notification number 655(E) dated the 17th July, 2018, thereby the recruitment rules of unified General Duty cadre inter-alia consisting of all the above said posts i.e. the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010 have been superseded mistakenly. The rule 4 of these rules shall come into force with retrospective effect with a view to regularize the services of the existing incumbents working on regular basis to the said posts and It is certified that by giving retrospective effect to rule 4, no one is likely to be adversely affected.

[F. No. I-12013/03/2015-Org. (Vol.-IV)]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.